



## राष्ट्रीय अनुसूचिति जाति आयोग चर्चा में क्यों?

हाल ही में विजय सांपला (Vijay Sampla) को राष्ट्रीय अनुसूचिति जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes- NCSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

### प्रमुख बादः:

#### ■ राष्ट्रीय अनुसूचिति जाति आयोग के बारे में:

- NCSC एक संवैधानिक नियंत्रित है जो भारत में अनुसूचिति जातियों (SC) के हतियों की रक्षा हेतु कार्य करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है।
- यह अनुसूचिति जाति और अनुसूचिति जनजाति हेतु कर्तव्यों के नियंत्रण के साथ एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है जो अनुसूचिति जाति एवं अनुसूचिति जनजाति से संबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच और नियंत्रण कर सकता है, अनुसूचिति जाति एवं जनजाति से संबंधित विशिष्ट शक्तियों के मामले में पूछताछ कर सकता है तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक विकास योजना प्रकरणों में भाग लेने के साथ सलाह देना का अधिकार रखता है।

#### ■ पृष्ठभूमि:

##### ◦ वशिष्ठ अधिकारी:

- प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक वशिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।
  - इस वशिष्ठ अधिकारी को आयुक्त (Commissioner) के रूप में नामित किया गया।

##### ◦ 65वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1990:

- 65वाँ संशोधन, 1990 द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचिति जाति (SC) और अनुसूचिति जनजाति (ST) आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।
- संविधान के 65वाँ संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया।

##### ◦ 89वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003:

- इस संशोधन द्वारा अनुसूचिति जाति एवं अनुसूचिति जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में दो अलग-अलग आयोगों में बदल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचिति जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes- NCSC) और अनुच्छेद 338-A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचिति जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes- NCST) का गठन किया गया।

#### ■ संरचना:

##### ◦ राष्ट्रीय अनुसूचिति जाति आयोग की संरचना इस प्रकार है:

- अध्यक्ष।
- उपाध्यक्ष।
- तीन अन्य सदस्य।

##### ◦ इनकी नियुक्ति रिष्ट्रेप्ट द्वारा हस्ताक्षरति एक सीलबंद आदेश द्वारा की जाती है।

#### ■ कार्य:

- संविधान के तहत SCs को प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की नियंत्रण और जाँच करना।
- SCs को उनके अधिकार और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शक्तियों के मामले में पूछताछ करना।
- अनुसूचिति जातियों से संबंधित सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देना।

- इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रपति को नियमित तौर पर रपोर्ट प्रस्तुत करना।
  - SCs के सामाजिक-आर्थिक विकास और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की सफिरशि करना।
  - SC समुदाय के कल्याण, सुरक्षा, विकास और उन्नति के संबंध में कई अन्य कार्य करना।
  - आयोग द्वारा अन्य पछिड़े वर्गों (Other Backward Classes-OBCs) और एंग्लो-इंडियन समुदाय के संबंध में भी अपने कार्यों का निवेहन उसी प्रकार कर्यान्वयन की आवश्यकता है जिसे प्रकार वह SCs समुदाय के संबंध में करता है।
- वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पछिड़े वर्गों के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्यों का निवेहन करने का अधिकार था। वर्ष 2018 में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को इस ज़मिमेदारी से मुक्त कर दिया गया।

## अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु अन्य संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 15 (4)** अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भिति करता है।
- **अनुच्छेद 16 (4 अ)** यदरिज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का प्रयाप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो पदोन्नति के मामले में यह कसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 17** अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- **अनुच्छेद 46** अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हतियों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 335** यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा।
- संविधान के **अनुच्छेद 330** और **अनुच्छेद 332** क्रमशः लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को आरक्षित करते हैं।
- पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग **IX** और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग **IXA** में SC तथा ST के सदस्यों हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है जो कि SC और ST को प्राप्त है।

## स्रोत: द हंडी

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-commission-for-scheduled-castes>